न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 173/2016

मन्दिर महादेव जी शाश्वत नाबालिग जरिये पुजारी ओमप्रकाश पुत्र लालपुरी गुंसाई, जाति स्वामी निवासी ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी/अपीलान्ट–

बनाम

1. कैलाश
2. रमेश — पुत्रान प्रभातपुरी, जाति गुंसाई, निवासी ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. नवल

4. रामेश्वर पुत्र गोरनधन, जाति हरि0 ब्राह्मण, निवासी ग्राम आन्धी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार, जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक, जमवारामगढ़।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री आत्मा राम शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री कृष्ण शर्मा रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 28–12–2017

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ दिनांक 01.02.2016 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक वाद संख्या 227/14 उनवानी मन्दिर महादेव जी बनाम कैलाश वगैर घोषणा एवं निषेधाज्ञा का इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम डांगरवाडा तहसील जमवारामगढ स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 247/1, 240, 247 एवं खसरा नम्बर 351 माफी मन्दिर महादेव जी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 1180, 907, 908 थे जो मन्दिर महादेव जी की खातेदारी के थे किन्तु दौराने भू–प्रबन्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने बिना विधिक क्षेत्राधिकार के गलत रूप से अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली जिसकी दुरूस्ती की जाकर वादी मन्दिर महादेव जी को विवादग्रस्त भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर भूमि मन्दिर महादेव जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड की जावे। प्रतिवादीगण ने अपना वादोत्तर पेश ना करके दिनांक 08.12.2014 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश सात नियम ग्यारह सी.पी.सी. का पेश किया जिसे सुयोग्य परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश/निर्णय दिनांक 01.02.2016 द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थी ने पांच खसरा नम्बरान क्रमशः 247/1, 247, 240, 351 एवं खसरा नम्बर 352 के संबंध में वर्तमान वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज व निषेधाज्ञा का पेश किया है जबकि पूर्व वाद संख्या 233/86 केवल मात्र खसरा नम्बर 352 के बारे में प्रतिवादी कैलाश ने केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें भी केवल मात्र खसरा नम्बर 352 रकबा 15 बिस्वा के बारे में एकपक्षीय निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की थी जबकि वर्तमान वाद एवं वाद संख्या 233/86 उनवानी कैलाश बनाम ओमप्रकाश में मात्र खसरा नम्बर 352 की विषय वस्तु समान थी पूर्ण विषयवस्तु, वाद प्रकृति एवं पक्षकारान समान नही थे।दोनों वाद पत्रों में वाद हेतुक एवं वाद अनुतोष भी एक समान नहीं थे।इन समस्त महत्वर्पूण कानूनी बिन्दुओं पर कतई कोई ध्यान ना देकर परीक्षण न्यायालय ने एक अतार्किक एवं अनरीजन्ड निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 11 एवं आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान किसी भी रूप में लागू नहीं होते है। रेसज्यूडिकेट तथ्यों एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसे साक्ष्य आदि के आधार पर वाद बिन्दू कायम करके ही निर्णित किया जा सकता है। प्रतिवादी को अपने समस्त उज्रात एवं आपतियॉ अपने जवाब दावे में लेनी चाहिए थी तत्पश्चात अभिवचनों के आधार पर तनकी कायम की जाकर साक्ष्य आदि लेकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था किन्तु ऐसा ना कर वाद वादी खारिज करने में परीक्षण न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट्स द्वारा उपर्युक्त कथन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 1/2/2016 निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में मंदिर महादेव जी की खातेदारी में रही है जिसे रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करवाया लिया गया था। अपीलान्ट्स/वादी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय ने पूर्व वाद सख्या 233/1986 का हवाला देते हुए अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज कर दिया गया जो कि उचित नही है। पूर्व वाद मात्र एक खसरा से संबंधी था तथा निषेधाज्ञा का था जिसमें कोई अधिकार तैय नहीं होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों के विपरित जाकर अपीलाधीन नॉनस्पींकिग निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्त फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेट्स द्वारा बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधिक हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों पर विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। पूर्व वाद सख्या 233/1986 तथा प्रस्तुत वाद समान पक्षकारान के बीच समान विषयवस्तु के संबंध में होने के कारण पूर्व निर्णय से प्रस्तुत वाद बाधित था इसलिये धारा 21 के अन्तर्गत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उचित तौर पर अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से वह खारिज योग्य है।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया गया है कि " बहस उभयपक्ष सुनी जाकर एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम डांगरवाडा तहसील जमवारामगढ में स्थित हाल खसरा नम्बर 247/1,247,240,351,352 जिसका रेफरेंस किया जा चुका हैं अपर कोर्ट में मामला विचाराधीन होने से इस न्यायालय में वाद वादी चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वाद वादी खारिज किया जाता है। एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर रेफरेंस में अपर न्यायालय के आदेश प्राप्त नहीं हो जाते है तब तक उभयपक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखे।" अधिनस्थ न्यायालय के उपुर्यक्त विवेचन का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि उनके विवेचन व निष्कर्ष में विरोधाभाष है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का निस्तारण करते समय सिर्फ वाद–पत्र के अभिवचनों को ही देखा जाना चाहिए तथा आदेश 7 नियम 11 में वर्णित आधारों पर ही कोई वाद–पत्र खारिज किया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत वादी का वाद यह कथन करते हुए खारिज किया है कि प्रकरण अपर कोर्ट में विचाराधीन होने से न्यायालय में चलने योग्य नहीं था जबकि यदि समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकारान के मध्य समान अनुतोष हेतु कोई प्रकरण एक से अधिक न्यायालय में विचाराधीन हो तो सिविल प्रकिया संहिता का आदेश 10 लागू होता है न कि आदेश 7 नियम 11 लागू होगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनुचित आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया गया है जो कि अवैध है।उपर्युक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने तथा नॉनस्पींकिंग निर्णय होने के कारण बहाल रखे जाने योग्य नही हैं तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/02/2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित परीक्षण किया जाकर तथा उभयपक्ष को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

9– निर्णय आज दिनांक 28–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर